

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 16.12.25

क्रमांक रीडर/2025/ 9852

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 नरपतसिंह पुत्र  
हाकमसिंह जाति  
राजपूत निवासी  
सनुराताल, बेरीवाला  
तला तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला  
बाड़मेर।

1 देवाराम 1 भीखाराम 3 पूंजाराम पिसरान हेमाराम 3 गंगाराम 5  
मेहराराम पिसरान मोतीराम 6 पोकरराम 7 गंगाराम पिसरान लाधाराम  
8 आम्बाराम 9 बाबूराम 10 दीपाराम 11 डालूराम 12 खिरजाराम  
पिसरान खेताराम 13 पुरखाराम पुत्र निम्बाराम 14 नानगाराम 15  
खेमाराम पिसरान मूलाराम 16 पूंजाराम पुत्र ताजाराम 17 बाबूलाल  
18 मांगीलाल 19 भंवरलाल पिसरान मूलाराम 20 रामाराम पुत्र  
लच्छाराम 21 भीयाराम 22 तेजाराम पिसरान लुम्भाराम 23 मोहनलाल  
पुत्र अमराराम 24 पोकराराम 25 खीयाराम 26 मानाराम पिसरान  
लुम्भाराम 27 कंवराराम 28 शंकराराम पिसरान भोमाराम 29 मोडाराम  
पुत्र लुम्भाराम 30 जवाराराम 31 सोनाराम पिसरान मोतीराम 32  
करनाराम पुत्र पूनमाराम निवासी सनुराताल, तहसील बाड़मेर ग्रामीण  
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-169/2025

दिनांक- 04/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सनुराताल पटवार क्षेत्र बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1444 रकबा 34.3982 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर

दिनांक- 16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9853-56

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नरपतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति राजपूत निवासी सनुराताल, बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण देवाराम पुत्र हेमाराम निवासी सनुराताल, बेरीवाला तला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर